Recived on Dales

क्रम संख्या–55

पंजीकरण संख्या-यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018-2020



पि किन्द्र करिं हेवेन्द्र शाह) अधिशासी अभियन्ता

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0 चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018 देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018' पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 17 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमितः भाग—एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म तथा लागू होना

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाम अधिनियम, 2018 है।
- (2) यह अधिनियम दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रिलों पर लागू होगा;

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे;

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो-

- (क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो;
- (ख) संविदा, कार्य—प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा;
- (ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की गई सेवा;
- (घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान।
- (इ) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल / बाध्य प्रतीक्षा काल के अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि;
- (च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि;

अध्यारोही प्रभाव

परिमाषाएं

2

3.

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हो;

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:-

- (क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
- (ख)'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (ग)'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (घ)'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय—समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ड.)'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।
- (च.)'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—दो से चार में परिभाषित है।
- (छ.)'सौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य-प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (ज.)'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थाई पद

पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात् की गई हो;

- (झ.)'सरकारी सेवक' से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हों) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।
- (ञ)'अईकारी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक / नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।
- (ट)'सेवानिवृत्ति' से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत हैं;
- (ढ) 'विहित' से नियमों में विहित अभिप्रेत है। भाग-दों पेंशन

पेंशन हेतु अईता

पेंशन कें लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अईकारी होगी-

- (क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।
- (ख) सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक किसी अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि 5.

पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को आहरित मूल वैतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 माह की औसत वैतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और विहित अधिकतम पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी। पेशन अनुमन्यता हेतु 6. सेवा अवधि का निर्धारण

- (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।)
- (ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।
- (ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी;

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धन्राशि से कम नहीं होगी।

भाग-तीन सेवानिवृत्ति / मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान

7.

- (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलक्षियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलक्षियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हों, से अधिक नहीं होगी।
- (2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी:-

अर्हकारी सेवा की मृत्यु उपदान की राशि अवधि

01 वर्ष से कम मासिक परिलब्धियों का 02 गुना

01 वर्ष से अधिक मासिक परिलब्धियों का 06 किन्तु 05 वर्ष से कम गुना

मासिक परिलब्धियों का 12 05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम मासिक परिलब्धियों का 20 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम गुना अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 20 वर्ष या उससे छमाही अवधि के लिये अधिक परिलिब्धयों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम् आहरित परिलब्धियों के तैतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक, जो कम हों, से अधिक नहीं होगी।

भाग-चार पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन 8. (1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी;

> परन्तु यह कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

सरकारी सेवक / पेंशनर की मृत्यु की दशा में (2) परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक / पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" के निम्न सदस्य पात्र होगें:-

- (1) पत्नी / पति।
- (2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को

पारिवारिक **पेंश**न की 9. अनुमन्यता हेतु पात्रता

- इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- (3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सिम्मिलत हैं।
- (4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।
- (5) राजकीय कर्मचारियों / पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्ते होंगी—
- (क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पॅशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पॅशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पॅशन के लिए अपात्र नहीं होगी।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहें हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निशक्त संतान नहीं है।

पेंशन के एक भाग 10. का राशिकरण

- (क) कुल आगणित पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत की धनराशि का राशिकरण राज्य सरकार द्वारा नियत सूत्र के अनुसार अनुमन्य होगा। पेंशनर को यह सुविधा उसकी सहमति के आधार पर देय होगी।
- (ख) राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पी०पी०ओ० निर्गत होने के तीन माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

पेंशन में वृद्धि 11.

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:—

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष से अधिक किन्त

मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत

पेंशन में वृद्धि

85 वर्ष से अनधिक 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से अनधिक

मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत

90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से अनधिक 95 वर्ष से अधिक किन्तु

मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत मूल पेंशन/पारिवारिक

100 वर्ष से अनिधिक

पेंशन का 50 प्रतिशत

100 वर्ष या उससे मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन अधिक का शत-प्रतिशत

भाग—पांच प्रकीर्ण

प्रकीर्ण

- (1) सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण में जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो में अनन्तिम पेंशन एवं उपादान ऐसे अनुमन्य होगी जैसे विहित की जाय।
 - (2) सेवा से पदच्युत व्यक्ति को पेंशन, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

- (1) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार नियम बना सकेगी।
 - (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से, मीना तिवारी, प्रमुख सचिव।

No. 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018 Dated Dehradun, April 13, 2018

NOTIFICATION Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018' (Adhiniyam Sankhya 17 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12 April, 2018.

The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 17 of 2018)

AN

ACT

for providing benefits after the retirement of substantively appointed personnel under the State Government services.

Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 69th Year of the Republic of India;

Part-I

Short title, 1. commencement and application of the Act

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018.
- (2) This Act shall be applicable on the personnel substantively appointed before the date of 1st October, 2005 under the services of State Government in the case of their completion of superannuation age, voluntary retirement and compulsory retirement and in the case of death of any personnel, on the dependents of such personnel;

Provided that the personnel appointed substantively from the date of 1st October, 2005 shall be governed by new contributory pension plan;

Provided further that such service of personnel which are:-

- (a) Not in full time employment;
- (b) done on contract, work charge, part time, daily wages, adhoc and fixed salary;
- (c) done as extension of service/ re-appointment/ end of session benefit after completing superannuation age.
- (d) break in service from one service to another service;
- (e) unauthorized absence except the period of joining/compulsory waiting period as a result of transfer from one post to another post;
- (f) period of leave without sanction;
- (g) any kind of absence in service, for which the leave is not due;

pension shall not permissible for the services mentioned in the clause (a) to (g) above.

- Overriding effect
- Notwithstanding anything contained in any other law made before the commencement of this Act, the provisions of this Act shall prevail.

Definitions

- 3. Unless anything is repugnant to the subject and context, in this Act-:
 - (a) 'Constitution' means the Constitution of India.
 - (b) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;
 - (c) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand.
 - (d) 'Pension Sanction Officer' means officer authorised as such by the Government from time to time;
 - (e) Pension includes gratuity except when only service gratuity is payable, it will not be part of pension.
 - (f) 'Emolument' means such salary which is defined under Financial Hand Book Volume-II Part- II to IV;
 - (g) 'Substantive appointment' means such appointment on a post in any cadre of service which is not an appointment on contract, work charge, part time, daily wages, adhoc and on fixed salary and selection for which has been made in accordance with relevant service rules;
 - (h) 'Permanent and Temporary service' means such service which has been done after substantive appointment on permanent and temporary post in any Government department.
 - (i) 'Government Servant' means such Government servant who
 may belong to any class who is substantively appointed under
 the government on a post which qualifies for pension;
 - (j) 'Qualifying service' means period of service which has been done as substantive / regular service under the State Government;
 - (k) 'Retirement' means to relinquish office from Government service on superannuation, voluntary retirement and compulsory retirement;
 - (l) 'Prescribed' means prescribed in rules.

Part II Pension

Eligibility for pension

- The service shall be qualifying service for pension according to following conditions-
 - (a) The service has been done substantively and regularly under the State Government;
 - (b) The service shall be taken as qualifying service for retirement benefits when the employee is substantively appointed on permanent/ temporary created post in any establishment.

Amount of Pension

Amount of pension shall be equivalent to the 50% of drawn basic pay on last day of the service or average salary of 10 months before the retirement date, whichever is beneficial for the pensioner;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed and shall not be more than the amount of maximum pension prescribed by the State Government.

Determination of period of service for allowing pension

- (a) Pension shall not be permissible if services are for less than ten years (six months and more than six months shall be considered one year and the period of less than six months shall not be calculated).
- (b) Whole pension shall be permissible on service of twenty years.
- (c) If qualifying service is of more than ten years but less than twenty years, then amount of pension shall decrease in proportion;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed by the State Government.

Part-III Retirement/ Death Gratuity

Retirement gratuity/death gratuity

(1) The amount of retirement gratuity shall be equal to half of the monthly emoluments for every completed half year period of qualifying service, the maximum limit of which shall not be

more than 33 times of last drawn monthly emoluments or the maximum limit prescribed by the State Government, whichever is less.

(2) The amount of death gratuity on the death of any substantively appointed Government servant shall be as under:-

Period of qualifying service	Amount of death gratuity
less than one year	double of monthly emoluments
more than one year but less than five years	six times of monthly emoluments
five years or more than but less than eleven years	twelve times of monthly emoluments
eleven years or more than but less than twenty years	twenty times of monthly emoluments
twenty years or more than twenty years	The amount shall be equal to half of the monthly emoluments for every completed half year period of qualifying service, the maximum limit of which shall not be more than 33 times of last drawn monthly emoluments or the maximum limit prescribed by the State Government, whichever is less.

Part IV Family Pension

Family Pension 8. (1) The family pension ordinarily shall be calculated at the rate of thirty percent of last drawn monthly salary;

Provided that the minimum and maximum amount of family pension shall not be more than the amount fixed by the State Government.

(2) In case of death of Government servant / pensioner, family pension is permissible to family at increased rates for the period of ten years from the date of death or attaining the age of 67 years of deceased Government servant /pensioner, whichever is earlier.

Eligibility for permissiveness of family pension

- Following members of family shall be eligible for allowing the family pension-
- (1) wife/husband;
- (2) Son less than the age of 25 years on the date of death with the restriction that if he starts earning livelihood then till the date of earning livelihood or the age of 25 years, whichever is earlier.
- (3) Unmarried daughter, less than age of 25 years on the date of death with the restriction that if she starts earning livelihood or she gets married or till the completion of age of 25 years, whichever is earlier. Children mentioned in sub-section (2) and (3) include step and legally adopted children before retirement.
- (4) There shall be no restriction of age for disabled or mentally challenged children who are eligible for family pension under the provisions of this Act. Widow or divorcee daughter shall also be included in family.

If spouse or eligible children of the deceased Government servant in above mentioned categories are not available, then his mother/father, who were fully dependent on him, will be included in his family.

- (5) There shall be the following conditions to make the unmarried daughters of Government employees /pensioners eligible even after attaining the age of twenty five years-
- (a) family pension to unmarried daughter shall be sanctioned according to their date of birth and the younger daughter shall not be eligible for family pension till the elder daughter next to her is declared ineligible;
- (b) unmarried daughters of more than twenty five years shall be eligible for family pension only when other eligible children under age of twenty years are not eligible for pension and there is no disabled child in family to receive family pension.

Commutation of a 10. part of pension

(a) Commutation of maximum forty percent amount of total calculated pension shall be permissible according to the formula prescribed by the State Government. This facility is provided for the pensioner on the basis of his consent.

(b) The commutated part of the pension shall be restored from next day of completion of fifteen years from the date of payment or after three months from the date of issuing the Pension Payment Order, whichever is earlier.

Increase in pension

 Additional pension shall permissible on the pension to the Government pensioner/ family pensioner of more than age of 80 years as follows-

Age of pensioner/ family pensioner	Increase in pension
from 80 years to less than 85 year	20% of basic pension / family pension
from 85 years to less than 90 year	30% of basic pension / family pension
from 90 years to less than 95 year	40% of basic pension / family pension
from 95 years to less than 100 year	50% of basic pension / family pension
100 years or more	100% of basic pension / family pension

Part V Miscellaneous

Other Provisions

- (1) Interim pension and gratuity to such retired State employees, against whom departmental inquiry, judicial proceeding or inquiry in Administrative Tribunal is pending or is expected to be made shall be allowed as may be prescribed.
 - (2) Pension or family pension shall not be permissible to the person dismissed from the service.

Power to make 13 rules

12

- (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) Rules made under this Act shall be laid before the State Legislature.

By Order,

MEENA TIWARI, Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का ज्ञापन

राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक लाभों और पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति हेतु अद्यतन कोई अधिनियमन नहीं है, जिससे बहुधा उक्त सुविधाओं को अनुमन्य कराए जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ विधेयक, 2018 सदन के पटल पर पुर:स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है।

2. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।